इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्तियों हेतु धारा – 8 (1) के अन्तर्गत)

यद्यपि अधोहस्ताक्षरी ने **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षिप्त में, सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का सपठित नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित ऋण गृहिताओं से माँग करते हुए माँग सूचना पत्र से 60 दिनों के भीतर सूचना पत्र में उल्लिखित राशि को लौटाने के लिए निर्गमित किया। ऋण गृहिताओं के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण गृहिता/ बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतद्द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्तियों का निम्नलिखित दिनांक को कब्जा ग्रहण कर लिया है। ऋण गृहिताओं को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्तियों का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय **इंडियन बैंक** के अध्याधीन होगा।

अधिनियम के नियम 13 के उप नियम (8) के प्रावधान की ओर ऋणी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वह उपलब्ध समय में अपनी सम्पत्ति को छुड़ा लें।

ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर के नाम व पते	बन्धक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना पत्र दिनांक	कब्जा दिनांक	बकाया राशी (₹)
शाखा: न्यू आगरा, आगरा				
ऋणी/बंधककर्ता- 1. श्री अनुकूल रॉय पुत्र श्री कुटेश्वर रॉय, 2. श्री अरुण रॉय पुत्र श्री अनुकूल रॉय, दोनों का पता- मकान नंबर 51ए/1/29ए, गोपी नगर पश्चिम अर्जुन नगर आगरा, **गारंटर**- श्री डालचंद वर्मा पुत्र श्री कंगालिया राम, पता- नगला अलबतिया बोदला अलबतिया आगरा	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड प्लाट नं. 95 (खसरा नं. 03 का भाग) पर आवासीय मकान मुकुंद नगर मौजा दौरेठा तहसील एवं जिला आगरा, **एरिया:** 92.89 वर्ग मी., संपत्ति श्री अनुकूल रॉय पुत्र श्री कुटेश्वर रॉय एवं श्री अरुण रॉय पुत्र श्री अनुकूल रॉय के नाम, **चौहद्दी:** पूर्व- प्लॉट नं. 96 पर निर्मित गृह संपत्ति, पश्चिम- प्लॉट नं. 94 पर निर्मित गृह संपत्ति, उत्तर- सड़क एवं निकास, दक्षिण: प्लॉट नं. 90 पर निर्मित गृह संपत्ति	05.11.2024	23.01.2025	**16,74,250/-** दि. 22-01-2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे
ऋणी/बंधककर्ता- श्री नरेश सिंह पुत्र श्री स्वरूप राम, पता 1- ए-62 एडीए कॉलोनी सेक्टर एफ सिकंदरा आगरा, पता 2- प्लॉट नंबर 37 खसरा नं. 1504 निखिल एस्टेट मौजा बाईपुर आगरा आगरा	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड प्लॉट नं.37 खसरा नं.1504 निखिल एस्टेट मौजा बाइपुर आगरा, **एरिया:** 111.89 वर्ग मी., संपत्ति नरेश सिंह पुत्र श्री स्वरूप राम के नाम, **चौहद्दी:** पूर्व- सड़क 9 मीटर चौड़ी, पश्चिम- प्लॉट नं. 2 का भाग, उत्तर- भूमि अन्य, दक्षिण: मकान नं. 36	05.11.2024	23.01.2025	**11,77,292/-** दि. 22-01-2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 26.01.2025 — *प्राधिकृत अधिकारी*

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

IndiaShelter Home Loans

पंजी. कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सैक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122 002
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, आशीर्वाद प्लाज़ा, बाजार रोड, प्रज्ञा स्कूल की लाइन में, बिजय नगर एवं शाखा कार्यालय : दुकान नंबर 2, प्रथम तल, मौड द मॉल, चुंगी नाका अहीन्द भीलवाड़ा -311301, एवं शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 5/बी/5, प्रथम तल, मीरा नगर, चित्तौड़गढ़ -312001

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का सांकेतिक कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती किसना कंवर, श्री/श्रीमती गोपाल सिंह एवं श्री/श्रीमती सम्पत सिंह राजपूत निवास पता : जूना गुलाबपुरा, तहसील हरदा, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान **ऋण खाता सं : HL30CHLONS000005002784**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट पट्टा नंबर 00082, परिमाप 15.9 फीट गुणा 68 फीट यानी 1081.02 वर्ग फीट अथवा 120.13 वर्ग गज, स्थित : जूना गुलाबपुरा, तहसील हरदा, जिला भीलवाड़ा **चौहद्दी :–** पूरब : रामस्वरूप का मकान, पश्चिम : मोद सिंह के मकान का भाग, उत्तर : बाड़ा/रामस्वरूप की सम्पत्ति, दक्षिण : रोड	**मांग सूचना तिथि : 22–09–2022** रु. 6,41,892.9/– (रुपए छह लाख इकतालीस हजार छह सौ बानवे तथा पैसे नब्बे मात्र) 23–09–2022 तक बकाया, उस पर 24–09–2022 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	**20–01–2025 सांकेतिक कब्जा**
स्व. श्रीमती मेना एवं श्री लादू लाल के कानूनी वारिस, निवास पता : मकान नंबर 7, ग्राम फकोलिया, तहसील मंडल, जिला भीलवाड़ा–311804, राजस्थान अन्य पता : प्लॉट नंबर 13, ग्राम फकोलिया, जी.पी. – चितम्बा, पी.एस. – करेरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–311804, **ऋण खाता सं : HL12AHLONS000005070198**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 13, बही नंबर 51, ग्राम फकोलिया, जी.पी. – चितम्बा, पी.एस. – करेरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–311804, कुल क्षेत्रफल 1188.5 वर्ग फीट, **चौहद्दी :–** पूरब : प्रकाश/रेमता, पश्चिम : शैतान सिंह/नाहर सिंह का मकान, उत्तर : लालू/कालू, दक्षिण : निकास/आम रोड	**मांग सूचना तिथि : 22–07–2024** रु. 11,48,392/– (रुपए ग्यारह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ बानवे मात्र) 09–07–2024 तक बकाया, उस पर 10–07–2024 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	**20–01–2025 सांकेतिक कब्जा**
श्री/श्रीमती मीनाक्षी पत्नी बहादुर बैरवा, श्री/श्रीमती बहादुर, श्री/श्रीमती विजय एवं श्री/श्रीमती मदन लाल निवास पता : एसटीसी रोड, सुभाष कालोनी, प्रताप नगर दाइत रोड, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001 **ऋण खाता सं : CLA100001650**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : एसटीसी रोड, सुभाष कालोनी, प्रताप नगर डिस्ट. रोड, चित्तौड़गढ़ **चौहद्दी :–** पूरब : कालू जी बैरवा का मकान, पश्चिम : रोड, उत्तर : मिश्री लाल बैरवा का मकान, दक्षिण : घीसी बाई का मकान	**मांग सूचना तिथि : 11–10–2024** रु. 5,52,373/– (रुपए पांच लाख बावन हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र) 09–10–2024 तक बकाया, उस पर 10–10–2024 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	**22–01–2025 सांकेतिक कब्जा**

स्थान : राजस्थान तिथि : 26–01–2025 (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05030) एवं श्री दीपक सुथार (+91 96499 90190)

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई– निविदा सूचना

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, उ.प.रे., अजमेर, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से ई–निविदा सं. 42245625B दिनांक 21.01.25 को, जिसकी बंद होने की तारीख 20.02.25 को 14.25 बजे तक रहेगी, आमंत्रित कर रहे हैं। निविदाकार निविदा बंद होने की तारीख एवं समय तक ही अपनी मूल/संशोधित निविदा प्रस्तुत कर पाएंगे। मैनुअल (ई–निविदा के अलावा) प्रस्ताव इस निविदा के विरुद्ध मान्य नहीं होंगे। इस तरह के मैनुअल प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। **आपूर्ति का विवरण:** Set of PU Foam as Cushion Material (For Retro fitment of Berth and Seats) as per FST Properties conforming to EN 45545 Part-2 HL-3 and conforming to RDSO Spec.No.- MMDTS-19020 Rev.-5 dt. 01.03.2023/ Silicon Foam for Seat & Berth as per RDSO Specification No. RDSO/2013/CG-13 (Rev 1) AND Fire Properties to EN 45545 Part-2 HL-3 OR Latest for LHB Third AC (LWACCN) Coaches. Description & Quantity of one set as per Attached Annexure A, मात्रा: 288 सेट्स, **निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय:** ई निविदा को 20.02.2025 को 14.25 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है. **वेबसाइट का विवरण:** ireps.gov.in

108-PS/25

हमें f X ▶ /NWRailways ◎ NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे
निविदा सूचना

वरि. मण्डल सामग्री प्रबन्धक, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, बीकानेर, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से ई–निविदा संख्या– 34245338A जिसकी बन्द होने की तारीख 17.02.2025 को 14.25 बजे तक रहेगी, आमंत्रित कर रहे हैं। निविदाकार निविदा बन्द होने की तारीख एवं समय तक ही अपनी मूल/संशोधित निविदा प्रस्तुत कर पायेंगे। मैन्यूअल (ई–निविदा के अलावा) प्रस्ताव इस निविदा के विरुद्ध मान्य नही होंगे। इस तरह के मैन्यूअल प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। **आपूर्ति का विवरण:** 5 Watt VHF Digital Walkie Talkie Set without Keypad and without Display. Spec. No. RDSO/SPN/TC/107/2018 Ver.(2.1) or latest, Sl. No. 2.3(b). Each set will consist of:- (1) One [1] VHF Set with Compatible Battery+Battery Charger+Antenna+ suitable Belt Clip in complete Box packing. (2) One [1] spare Battery compatible to the VHF Set as per Spec. No.RDSO/ SPN/TC/107/2018 Ver (2.1) or latest. [Warranty Period: 30 Months after the date of delivery], मात्रा: 454 Nos., **निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय:** ई–निविदा को दिनांक 17.02.2025 को 14.25 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है, **वेबसाइट विवरण:** www.ireps.gov.in

110-PS/25

हमें f X ▶ /NWRailways ◎ NWRailways_ पर फॉलो करें

[एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 के अनुपालन में]

एक से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष

एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (3) तथा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 के मामले में

तथा

रेनेवाविजन कंसल्टैन्ट्स एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. नं. एस 266, उप्पल साउथएंड, ए, सेक्टर–49, गुड़गाँव, गुड़गाँव केटीवाई., हरियाणा, भारत, 122001 में है, के मामले में

एतद्द्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि ''हरियाणा राज्य'' से रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में उसके पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के लिये उसे सक्षम बनाने के लिये एलएलपी द्वारा एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (3) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस 21 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार के पास 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

एच. नं. एस 266, उप्पल साउथएंड, ए, सेक्टर–49, गुड़गाँव, गुड़गाँव केटीवाई., हरियाणा, भारत, 122001

कृत्ते एवं के लिये,
रेनेवाविजन कन्सल्टैन्ट्स एलएलपी
हस्ता./–
राम चन्द्र धनधानिया
पद्नामित पार्टनर
(DIN-10501200)

तिथि: 24.1.2025
स्थान: गुड़गाँव

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमएच कॉलेज शाखा,** गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अधि. 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित **20–01–2024** निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं : **श्री चेतन शर्मा पुत्र श्री राम कुमार शर्मा,** पता : मकान नं. 574, गली नं. 1, गर्ग वस्त्र भण्डार के सामने, घुकना, गाजियाबाद को, सूचना में अंकित राशि रु. **21,16,689.83/– (रुपये इक्कीस लाख सोलह हजार छह सौ नवासी तथा तिरासी पैसे मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूँकि ऋणकर्तागण बकाया देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **23/01/2025** को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 21,16,689.83/– (रुपये इक्कीस लाख सोलह हजार छह सौ नवासी तथा तिरासी पैसे मात्र) की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमएच कॉलेज शाखा, गाजियाबाद के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

अचल संपत्ति का विवरण

निम्न विवरण से समाविष्ट संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश : आवासीय फ्लैट / भूखण्ड सं. एफ–24ए, द्वितीय तल, खसरा– 1529, केशव कुँज कॉलोनी, ग्राम– रईसपुर, परगना– डासना, गाजियाबाद में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, जो निम्नानुसार परिसीमित है :–

उत्तर– भूखण्ड सं. एफ–25
दक्षिण– भूखण्ड सं. एफ–29
पूर्व– भूखण्ड सं. एफ–24
पश्चिम– सड़क 18 फुट चौड़ी

स्थानः गाजियाबाद (प्राधिकृत अधिकारी)
तिथिः 23/01/2025 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

DON'T STOP UNTIL YOU'RE PROUD
orientbell tiles

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का साराँश

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समेकित				
		31-12-2024 को समाप्त तिमाही हेतु	31-12-2023 को समाप्त तिमाही हेतु	31-12-2024 को समाप्त नौ माह हेतु	31-12-2023 को समाप्त नौ माह हेतु	31-03-2024 को समाप्त वर्ष हेतु
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	16,302	16,228	47,151	46,613	67,446
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	138	(456)	22	(539)	113
3	अवधि हेतु निवल लाभ (कर पूर्व व आपवादिक मदों के उपरांत)	138	(456)	22	(539)	113
4	अवधि हेतु निवल लाभ (कर उपरांत व आपवादिक मदों के उपरांत)	97	(336)	9	(400)	91
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर उपरांत अवधि हेतु लाभ तथा कर उपरांत अन्य व्यापक आय से समाविष्ट)	122	(331)	86	(387)	193
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,465	1,457	1,465	1,457	1,459
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार	-	-	-	-	29,844
8	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु) (अवार्षिकीकृत)					
	क) मूलभूत (राशि रु. में)	0.66	(2.31)	0.06	(2.76)	0.63
	ख) तरलीकृत (राशि रु. में)	0.66	(2.31)	0.06	(2.76)	0.62

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के पृथक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का साराँश

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक				
		31-12-2024 को समाप्त तिमाही हेतु	31-12-2023 को समाप्त तिमाही हेतु	31-12-2024 को समाप्त नौ माह हेतु	31-12-2023 को समाप्त नौ माह हेतु	31-03-2024 को समाप्त वर्ष हेतु
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	16,081	16,228	46,930	46,613	67,446
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	126	(468)	18	(595)	28
3	अवधि हेतु निवल लाभ (कर पूर्व व आपवादिक मदों के उपरांत)	126	(468)	18	(595)	28
4	अवधि हेतु निवल लाभ (कर उपरांत व आपवादिक मदों के उपरांत)	86	(348)	6	(456)	6
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर उपरांत अवधि हेतु लाभ तथा कर उपरांत अन्य व्यापक आय से समाविष्ट)	111	(343)	83	(443)	108
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,465	1,457	1,465	1,457	1,459
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार	-	-	-	-	29,381
8	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु) (अवार्षिकीकृत)					
	क) मूलभूत (राशि रु. में)	0.59	(2.40)	0.04	(3.14)	0.04
	ख) तरलीकृत (राशि रु. में)	0.58	(2.40)	0.04	(3.14)	0.04

टिप्पणियाँ :–

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा इसके पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा 25 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया। दिनाँक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं अवधि के वित्तीय परिणामों की कंपनी के साँविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।
3. उपरोक्त साराँश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक / वर्षांद्यतन / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश हैं। त्रैमासिक / वर्षांद्यतन / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों बीएसई (www.bseindia.com) पर एवं एनएसई (www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (https://www.orientbell.com) पर उपलब्ध है।
4. यहाँ लेखाँकन नीतियों में काई भी परिवर्तन नहीं है, जिससे कि निवल लाभ / हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी भी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव पड़े।

ओरिएंट बेल लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी ओर से
मधुर डागा
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 25 जनवरी 2025

ओरिएंट बेल लिमिटेड
सीआईएन : L14101UP1977PLC021546
पंजीकृत कार्यालय : 8, औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद– 203205, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
निगमित कार्यालय : आइरिस भवन, 16 बिजनेस सेंटर, नांगल राय, नई दिल्ली– 110 046
☎ +91-11-47119100 | ✉ investor@orientbell.com | www.orientbell.com

---

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग,
11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179557, 7087261921

ई–नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट II-क, (नियम 6(2) का परन्तुक देखें) चल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला, गारंटर और प्रत्याभूतिदाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूतदाता, से प्रतिभूत लेनदार भारतीय स्टेट बैंक की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

कर्जदार / गारंटर(रों) का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख एवं बकाया राशि	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	बोली आवेदन पत्र, केवाईसी दस्तावेज़, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और धरोहर राशि BAANKNET के माध्यम से	ई–नीलामी की तिथि / समय 10 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
मेसर्स छिंदवाड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. ग्राम – रजाना, खसरा नं. 38/1, ग्राम–हिवाड़ासेनाढ़ार, भोपाल – नागपुर राजमार्ग (एनएच –69), तहसील और जिला – पांढुर्ना –480334, कॉर्पोरेट कार्यालय – मेसर्स छिंदवाड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., ए–60, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज –2, नई दिल्ली – 110020, पंजीकृत कार्यालय–मैसर्स छिंदवाड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., 25/694, शंकर नगर, भोपाल नागपुर हाईवे, पीओ पांढुर्ना, जिला– पांढुर्ना, मध्य प्रदेश – 480334, मेसर्स छिंदवाड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस.बी. मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013। श्री कपिल चौधरी, 6, Firn लेन, इनसाइड डीएलएफ फर्म्स, छतरपुर विलेज, नई दिल्ली – 110074 श्री मुकुंद चौधरी, 7, पद्मिनी एन्क्लेव, हौज खास, नई दिल्ली – 110016 मेसर्स छिंदवाड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली– 110016	प्लांट एवं मशीनरी (ओल्ड एव स्क्रैप) जोकि गाँव – राजना, खसरा नंबर 38/1, ग्राम – हिवाड़ासेनाढ़ार, भोपाल – नागपुर हाईवे (एनएच–69), तहसील – पांढुर्णा, जिला – पांढुर्णा (म.प्र.) में रखी है। (भौतिक कब्जा)	₹ 5,72,00,000/- ₹ 57,20,000/- ₹ 1,00,000/-	रु. 15,90,66,781.00 (रु. पंद्रह करोड नब्बे लाख छियासठ हजार सात सौ इक्यासी मात्र) प्लस भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि मांग सूचना दिनांकित 13.07.2016 के अनुसार	**11-02-2025** पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक **प्राधिकृत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार मुख्य प्रबंधक मो. 8755910673**	https://BAANKNET.com देखें **रिजॉल्यूशन ऐजेंटः श्री संदीप कुमार साहा, मो. नं. 7011475445**	**17-02-2025** दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक 10 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित

M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET) द्वारा प्रदान किए गए ई–नीलामी साइट **https://BAANKNET.com** पर बोलीकर्ताओं द्वारा ईएमडी को अपने स्वयं के बटुए(**wallet**) में हस्तांतरित / जमा करना होगा।

नियम व शर्तेः– ई–नीलामी "जहाँ है", जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी।

ई–नीलामी **https://BAANKNET.com** लिंक के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, बोलीदाताओं को ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** की सेवा शर्तों का अनुपालन करना होगा।

इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पूर्व **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते है। **M/S PSB ALLIANCE (BAANKNET)** के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई–नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री–बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।

अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनबद्धता/प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।

सफल बोलीदाता की **धरोहर राशि जमा (ईएमडी)** बिक्री प्राप्ति के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के बाद अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करनी होगी** तथा शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी। और आयकर/जीएसटी नियम, जहां भी लागू हों।

ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। **https://BAANKNET.com, https://bank.sbi**

सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

तिथि : 23-01-2025, स्थान : नई दिल्ली / पांढुर्णा (एमपी) हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक